(55)

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक — / 2013 रेस्टोरेशन — 2489-II/13

1 महाबली सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह चौहान

2 चन्द्रवली सिंह (मृत) द्वारा विधिक वारिसान शैलकुमारी

अ. बेवा चन्द्रबली सिंह

ब. मनोज सिंह पुत्र स्व. चन्द्रबली सिंह

स. प्रमोद सिंह पुत्र स्व. चन्द्रबली सिंह चौहान

3. प्रभुनाथ सिंह पुत्र हरप्रसाद सिंह चौहान

4. लखपति सिंह पुत्र हरप्रसाद सिंह चौहान

5. कुशल सिंह पुत्र हरप्रसाद सिंह चौहान

6. सूर्यबली सिंह पुत्र बद्री सिंह

7. महीपति सिंह पुत्र बदी सिंह

सभी निवासीगण ग्राम देवघटा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

छोटेलाल पुत्र बद्री सिंह (मृत) द्वारा

विधिक वारिश —

1. बाबूलाल सिंह पुत्र स्व. छोटेलाल सिंह

2. राजकुमार सिंह पुत्र स्व. छोटेलाल सिंह

3. द्वारिका सिंह पुत्र स्व. छोटेलाल सिंह

निवासीगण ग्राम देवघटा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अधि०
द्वारा आज दि. 28-6-13 को
प्रस्तुत
ह० 28-6-13
पेशकार
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

W3
मुकेश भार्गव
28.6.13 एडवोकेट
ग्वालियर

<u>पुर्नस्थापन (रेस्टोरेशन) आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, आवेदकगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष रीवा के अभिभाषक के मार्फत रीवा कैम्प पर दिनांक 24.1.13 को अपील/ पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था। जिसमें ग्राहग्यता पर सुनवाई हेतु पेशी 13.2.13 नोट कराई थी लेकिन आदेश पत्रिका नहीं लिखी गई थी।

2– यह कि, दिनांक 13.2.13 की पेशी पर आवेदक अभिभाषक न्यायालय में जब उपस्थित हुये तब तक माननीय पीठासीन अधिकारी सुनवाई कर न्यायालय से चले गये थे प्रकरण देखने को नहीं मिला । बाबूजी ने बताया कि अगली पेशी बढ़ गई है बाद में देख लेना अगलेमाह जब कैम्प कोर्ट आया तब बाबूजी ने बताया कि इस बार के प्रकरणों में उक्त फाईल नहं है। ज़ब काफी समय तक आवेदक को अपने रीवा के अभिभाषक से प्रकरण की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तब आवेदक ने अभिभाषक से सम्पर्क किया तब उनके द्वारा आवेदक को प्रकरण की जानकारी लेने ग्वालियर भेजा आवेदक का पुत्र दिनांक 25.6.13 को ग्वालियर आकर अभिभाषक से मिला तब अभिभाषक ने प्रकरण की जानकारी लेकर बताया कि प्रकरण अनुपस्थिति में खारिज हो गया है। तब आवेदक ने वापिस गांव जाकर दिनांक 27.6.13 को रीवा से बस के मार्फत कागज ग्वालियर भेजे।

3– यह कि, दिनांक 13.2.13 की पेशी मात्र आवदक अभिभाषक को नोट थी लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पत्रिका नहीं लिखी थी कि [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 2489—दो / 13 जिला—सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14—7—17	आवेदक के अधिवक्ता. श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि प्रकरण कमांक अपील 793—दो / 13 में पारित आदेश दिनांक 13.2.13 को अनुपस्थित होनें के कारण आदम पैरवी में निरस्त हो गया है । उनके द्वारा बताया गया है कि अधिवक्ता की अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण खारिज हो गया है। 2— प्रकरण का अवलोकन किया गया। तर्को पर विचारोपरांत प्रकरण कमांक अपील 793—दो / 13 में पारित आदेश दिनांक 13.2.13 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण रेस्टोर्ड कर समाप्त किया जाता है। सदस्य	